बिहार मानवाधिकार आयोग

<u>9 बेली रोड, पटना</u>

सूचना

बिहार मानवाधिकार आयोग के लिए संविदा के आधार पर सृजित आदेशपालों के पदों के विरूद्ध नियोजन हेतु समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में दिनांक 17.01.2011 को प्रकाशित सूचना विज्ञापन को अपरिहार्य कारण से रद्द किया जाता है।

उक्त आदेशपाल पद के लिए इच्छुक आवेदक दिनांक 17 जनवरी' 2011 को प्रकाशित सूचना में अंकित शर्त्तो/बंधेज के तहत अपना आवेदन पत्र सूचना प्रकाशन के दो सप्ताह के अंदर मुहरबंद लिफाफे में आयोग के उप सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, 9 बेली रोड पटना को निबंधित डाक से दे सकते है। दिनांक 17.01.2011 को प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में जो आवेदक पूर्व में आवेदन दे चुके है, उनके द्वारा भी नया आवेदन–पत्र दिया जाना आवश्यक होगा। विस्तृत जानकारी के लिये www.bhrc.bih.nic पर देखा जा सकता है।

उप सचिव,
बिहार मानवाधिकार आयोग
पटना

बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड, पटना

सूचना

बिहार मानवाधिकार आयोग के लिए संविदा के आधार पर सृजित आदेशपाल के पदों के विरुद्ध नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्रम सं0	पद एवं देय पारिश्रमिक	पद की संख्या	भर्ती की योग्यता	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 458 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार आरक्षण रोस्टर	
				रोस्टर बिंदु	कोटिवार अनुमान्य पद
1	आदेशपाल 4000/- रूपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक	02(दो) (वर्त्तमान में)	1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम उत्तीर्ण 2. उम्मीदवार को स्वस्थ होना आवश्यक होगा। 3. उम्मीदवार को साईकिल चलाना जानना आवश्यक होगा।	5 6	अनारक्षित पिछड़ा वर्ग

नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा एवं अन्य शर्ते :-

1. संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा होगी।

2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल 6(छः) माह के लिए किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

3. यदि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

4. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति को प्रतिमाह एक मुश्त नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।

5. नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात, सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

6. स्वच्छ सेवा इतिहासवाले सेवानिवृत इच्छुक व्यक्ति अपनी योग्यता तथा पूर्व धारित पदों के विवरण सहित आवेदन दे सकते है।

7. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित/अनुशंसित पैनल से नियोजन किया जायेगा। चयन समिति आवश्यकतानुसार कांउसिलिंग कर अपनी अनुशंसा देगी।

8. नियोक्ता एवं संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा किया जायेगा।

9. अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, उम्र, स्वास्थ्य एवं अनुभव आदि का प्रमाण पत्र एवं अन्य धारित योग्यता की अभिप्रमाणित प्रति तथा आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण

पत्र की अभिप्रमाणित एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र (छः माह के अन्दर का) की प्रति संलग्न करनी होगी।

10. सरकारी कार्यालय के दैनिक वेतन भोगी को अनुभव प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। फोटो स्टेट, फैक्स, कम्प्यूटर टाईपिंग का ज्ञान, ड्राइविंग का अनुभव रखना भी प्राथमिकता का आधार होगा। इस हेतु तत्संबंधी ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति ड्राइविंग लाइसेंस सहित संलग्न करनी होगी।

11. सरकारी बोर्ड या निगम के रेगुलर कर्मी, जो पूर्णतः स्वस्थ हों, को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु उन्हें संबंधित सिविल सर्जन से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड या निगम के कर्मी को अनापत्ति प्रमाण पत्र योगदान के पूर्व समर्पित करना होगा।

12. अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के आवेदक भी अपना आवेदन दे सकते है। आरक्षण बिन्दु के अनुरूप योग्य उम्मीदवारों का प्रतीक्षा सूची के रूप में पैनल निर्माण किया जायेगा। ये पैनल इस विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य रहेगा। इनका भविष्य में होने वाली रिक्ति के विरुद्ध संविदा पर नियोजन किया जा सकता है।

13. आवेदन पत्र सूचना प्रकाशन के दो सप्ताह के अंदर मुहरबंद लिफाफा में आयोग के उप सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, 9 बेली रोड, पटना को निबंधित डाक से निश्चित रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। नियत अवधि के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।

14. लिफाफा के उपर लाल स्याही से रेखांकित उस पद का नाम होना चाहिए जिसके लिए आवेदन दिया गया है।

(शैलेश कुमार)
आयोग के उप सचिव

<u>आदेशपाल के लिए आवेदन–पत्र</u>

1. आवेदित पद का नाम :–

2. आवेदक का नाम :–

3. उम्र (प्रकाशन की तिथि को) :–

4. पिता का नाम :–

5. स्थायी पता :–

   वर्त्तमान पता :–

6. शैक्षणिक योग्यता :–

7. कार्य अनुभव :–

8. आरक्षण का लाभ लेने के लिए
   जाति प्रमाण पत्र :–

9. यदि विशेष योग्यता/अनुभव है
   तो उसका विवरण :–

10 संलग्न प्रमाण पत्रों की विवरणी :–

आवेदक का हस्ताक्षर